

# आदेश - पत्रक

अनुसूचित 14-फारम नं० 562

(देखें अधिलेख, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ..... ता० ..... से .....  
 जिला ..... से दा० खा० वा० स० 287/113-17 .....

आदेश का क्र० सं० और ता०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री मति उवा सिन्हा  
 पत्न्य प्रहल कुमार ग्राम लक्ष्मणपुर, पण्ड्या  
 भागा बलिष्करपुर जिला पटना  
 पं० थाला नं० ..... दिनांक .....

कं आधार पर निम्नांकित जमीन पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

मौजा का नाम पहाडी मौजा नं० थाना नं० 14  
 छाता नं० 97 खसरा 1744 एराजी 1405 खरिज

मूल आवेदन पत्र इलका कार्यालय को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित हेतु दे दं । मजाल पर मजाल जति कर आपत्ति की माँग कर ।  
 अधिलेख दिनांक 14/08/15 को उपस्थित कों MS

अंचल अधिकारी MS अंचल अधिकारी

मजाल पर तामिला नोटिस प्राप्त है । कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है ।  
 कार्यालय का प्रेषित अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है । उन लोगों ने आवेदन के नाम दाखिल खरिज करने की अनुमति किये हैं । फलतः उनके अनुमति के आधार पर दाखिल खरिज .....  
 किया जाता है शुद्ध पत्र निर्गत करे ।  
 निरवका एवं शुद्ध क्रिया ।  
MS अंचल अधिकारी